प्रेसनोट- मॉनीटरिंग सेल

दिनांक- 28.01.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के 01 आरोपी को 02 वर्ष 02 माह 16 दिन का कारावास एवं कुल 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहें ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रियांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहांपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना कोतवाली पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एएसजे 05 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना कोतवाली में आरोपी रूबल यादव उर्फ आकाश यादव पुत्र फूल सिंह यादव निवासी विसरात रोड रोशनगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर द्वारा संगठित गिरोह का सदस्य रहकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित कर समाज में भय व आतंक व्याप्त कर आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के आरोप में 02 वर्ष 02 माह 16 दिन का कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरणः-

रूबल यादव उर्फ आकाश यादव पुत्र फूल सिंह यादव निवासी विसरात रोड रोशनगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर।

घटना व सजा का विवरणः-

मु0अ0सं0 74/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर में आरोपी रूबल यादव उर्फ आकाश यादव पुत्र फूल सिंह यादव निवासी विसरात रोड रोशनगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर द्वारा संगठित गिरोह का सदस्य रहकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित कर समाज में भय व आतंक व्याप्त कर आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के आरोप में 02 वर्ष 02 माह 16 दिन का कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।